



राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.14()नर्सरी अपग्रेडेशन/कैम्पा/अप्रमुवसं/2022-23/ 6920

दिनांक: 28/9/2022

बजट आवंटन आदेश-56

वर्ष 2022-23 में स्वीकृत APO के अर्न्तगत स्टेट कैम्पा योजना में ए.पी.ओ. आईटम संख्या - 44 : (i) **Nursery Infrastructure upgradation/Ugradation of Nursery** मद के अर्न्तगत अधीनस्थ वन मण्डलों को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04- Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

Amount in lacs

APO Item No. 44 : (i) Nursery Infrastructure upgradation		
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Budget Allotment (Fin.)
1	उप वन संरक्षक इ.गा.न.प.स्टेज-1 छत्तरगढ़	8.000
2	उप वन संरक्षक जोधपुर	12.500
3	उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)	6.500
4	उप वन संरक्षक अनुसंधान, जयपुर	2.000
	योग	29.000

- 1 इस कार्यालय के पत्रांक 2915-27 दिनांक 18.05.2022 से अधिरोपित शर्तों की पालना सुनिश्चित करें।
- 2 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines व Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 3 उक्त आवंटन के विरुद्ध नर्सरी में पक्के बेडस,पक्का निरीक्षण पाथ निर्माण एवं बिजली का बिल पर व्यय नहीं किया जावे।
- 4 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 6 उक्त आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो
- 7 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार ही व्यय की जावे तथा इसमें से किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 8 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे। समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMPA/ IFMS Accounting Rules एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों के ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 9 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

- 10 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 11 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय/राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा-निर्देशों की पालना की जावे।
- 12 कैम्पा से आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय संपादित किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं में परस्पर **Overlapping** से बचा जा सकें।
- 13 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित पद्धति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।
- 14 कैम्पा मद के अन्तर्गत नये कार्यस्थलों की सूची मय **GPS Coordinates** के ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करना तथा सूचना भिजवाना सुनिश्चित किया जावे।

Shikha

(शिखा मेहरा)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

दिनांक: 28/09/2022

क्रमांक: एफ.14()नर्सरी अपग्रेडेशन/कैम्पा/अप्रमुवसं/2022-23/6921-33^{ofc}
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक - बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/वनवर्धन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 4 उप वन संरक्षक- इ.गान.प.स्टेज-1 छत्तरगढ़/जोधपुर/उदयपुर (उत्तर)/अनुसंधान, जयपुर
- 5 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMP) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 6 कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा को आई.एफ.एम.एस पर बजट अपलोड करने बाबत।
- 7 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु/रक्षित पत्रावली

de
(अभिषेक शर्मा)

उप वन संरक्षक (कैम्पा),

राजस्थान, जयपुर।

वन मण्डलों से प्राप्त नर्सरी अपग्रेडेशन के प्रस्ताव के आधार पर बजट आवंटन

S.No.	Name of Division	Name of Nursery	Particular	Proposed Amount		
1	उदयपुर (उत्तर)	कोटडा	सोलर सिस्टम लगाना	2.50		
			सैमलिया	ग्रीन हाउस	1.00	
			ईरीगेशन कार्य	0.50		
			योग	4.00		
		घाटानाड़ी	सोलर सिस्टम लगाना	2.50		
कुल योग				6.50		
2	जोधपुर	भूतेश्वर	ग्रीन हाउस स्थापित करना (Size 38 M. x 13 M.)	1.50		
			योग	1.50		
		लॉक्सवेल	वाटर स्टोरेज टैंक निर्माण	2.00		
			द्यूबवेल	2.00		
			ग्रीन हाउस स्थापित करना	1.00		
			योग	5.00		
		शेरगढ	ग्रीन हाउस स्थापित करना	1.00		
			योग	1.00		
		बागोरिया	द्यूबवेल	2.00		
			ग्रीन हाउस स्थापित करना	1.00		
		योग				3.00
		फलोदी	ग्रीन हाउस स्थापित करना	1.00		
		योग				1.00
		एका भाटियान	ग्रीन हाउस स्थापित करना	1.00		
		योग				1.00
कुल योग				12.50		
3	अनुसंधान जयपुर	ग्रासफॉर्म नर्सरी	पौधशालाओं की संरचनाओं के विकास हेतु	2.00		
			योग	2.00		
4	छत्तरगढ़ बीकानेर	507 RDX	जल सग्रहण हेतु नवीन डिग्गी निर्माण 15 M. x 15 M. x 2 M.	2.00		
			562 RD	जल सग्रहण हेतु नवीन डिग्गी निर्माण 15 M. x 15 M. x 2 M.	2.00	
				जल सग्रहण हेतु नवीन डिग्गी निर्माण 15 M. x 15 M. x 2 M.	2.00	
			27 KYD	जल सग्रहण हेतु नवीन डिग्गी निर्माण 15 M. x 15 M. x 2 M.	2.00	
		3 KJD	जल सग्रहण हेतु नवीन डिग्गी निर्माण 15 M. x 15 M. x 2 M.	2.00		
योग				8.00		
महायोग				29.00		

Shikha
(शिखा मेहरा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा
राजस्थान, जयपुर